संख्या.1-40014/07/2011/रा.भा. 1535

महानिदेशालय, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल

खंड-2, केंद्रीय कार्यालय परिसर,

गृह मंत्रालय/भारत सरकार

लोदी रोड नई दिल्ली-03

दिनांक: 17/04/2017

कार्यालय ज्ञापन

कृपया राजभाषा के प्रगामी प्रयोग हेतु राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है जिसमें राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न मदों में लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं । राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक कार्यक्रम जारी कर दिया गया है । बल के समस्त कार्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढाते हुए वार्षिक कार्यक्रम 2017-18 में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कारगर प्रयास सुनिश्चित करवाए जाएं ।

2. राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में स्पष्ट किया गया है कि संघ की राजभाषा नीति का आधार प्रेरणा और प्रोत्साहन है, किन्तु राजभाषा संबंधी अनुदेशों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाना चाहिए । राजभाषा संबंधी आदेशों की जानबूझकर अवहेलना के लिए मंत्रालय/विभाग अनुशासनात्मक कार्रवाई करने पर विचार कर सकते हैं ।

3. उपर्युक्त वार्षिक कार्यक्रम की प्रति राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है । अत: अनुरोध है कि राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में वार्षिक कार्यक्रम 2017-18 को राजभाषा विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर इसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों के संज्ञान में लाएं और अपने अधीन आने वाले क्षेत्रीय मुख्यालयों, वाहिनियों एवं प्रशिक्षण केन्द्रों आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित करवाएं । प्रत्येक कार्यालय प्रमुख द्वारा कार्यालय में तिमाही के दौरान आयोजित की जाने वाली राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक में वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में अपने-अपने कार्यालय की समीक्षा की जाए और की गई कार्रवाई से महानिदेशालय, भा0ति0सी0पु0 बल को भी अवगत करवाया जाए ।

संलग्न : यथोक्त ।

उप महानिरीक्षक (संगठन)

महानिदेशालय,भा0ति0सी0पु0 बल

सेवा में,

1. समस्त फ्रंटियर मुख्यालय/प्रशिक्षण परिक्षेत्र/भ0ति0सी0पु0 अकादमी/ क्षे0मु0 (ल0 व क0)/ आधार चिकित्सालय एवं केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय, भा0ति0सी0पु0 बल ।
2. समस्त क्षेत्रीय मुख्यालय / वाहिनियां / प्रशिक्षण संस्थान, भा0ति0सी0पु0 बल को ई-मेल के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

कृ0पृ0प0